न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—267 / 2020 प्रार्थना पत्र

1—श्री भंवर सिंह पिता स्व. रोड सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
2—श्री किशन सिंह पिता स्व. रोड सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3—श्री गजेन्द्र सिंह पिता स्व. रोड सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
4—श्रीमति लीलाकंवर पुत्री स्व. रोड सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
5—श्रीमति सुरजकंवर पत्नि स्व. रोड सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
6—श्री गिरधारी सिंह पिता स्व. नाथु सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
7—श्री बालू सिंह पिता नाथु सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

1— श्री नारायण सिंह पिता कालू सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
2— श्री रघुवीर सिंह पिता कालू सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3— श्रीमति धापूकंवर बेवा कालू सिंह राजपूत निवासी आंबाखेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
4— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—
1—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मांगीलाल सैन
2—विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांकः—26.02.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर प्रार्थीगण का शामलाती कुआं आराजी नम्बर 66 पर जाने के लिए व आगे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 65, 57, 56 में जाने हेतु मौके पर रास्ता मुख्य रास्ता से प्रारम्भ होकर आ0नं0 163, 164 जो कि प्रार्थीगण की है जिसमें होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 169 / 2, आ.नं. 170 / 1 में होते हुए आराजी नम्बर 66 कुआ पर जाता है रास्ता मौके पर 25 फीट चौडा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से करते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 169 / 2 व 170 / 1 मे से रास्ता को मौके पर बन्द कर दिया है जिसे प्रस्तावित नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है चुंकि प्रार्थीगण को उक्त कुआ पर आने जाने तथा अपनी मवेंशियों व

Ahad

कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता विद्यामान है इसके अलावा और कोई रास्ता नही है प्रस्तावित नजरी नक्शा मे जो रास्ता मुख्य रास्ता से प्रारम्भ होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 163, 164, में होता हुआ कुआ आराजी नम्बर 66 पर जाता है व आगे 65, 57, 56 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण को अपने कुआ आराजी नम्बर 66 में आने जाने हेतु मौके पर और कोई रास्ता विद्यमान नही है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण हर समय टालम–टोल करते रहे व अन्त में हॉल ही में दिनांक 5.8.2020 को प्रार्थीगण ने अंतिम बार उक्त रास्ता को खुलासा रखने व राजस्व रेकार्ड व नक्शा में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण इसके लिए तैयार नही हुए रास्ता को बन्द कर दिया प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगणो का शामलाती कुआं आराजी नम्बर 66 पर जाने के लिए व आगे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 65, 57, 56 में जाने हेतु मौके पर रास्ता मुख्य रास्ता से प्रारम्भ होकर आ0नं0 163, 164 जो कि प्रार्थीगण की है जिसमें होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 169/2, आ.नं. 170/1 में होते हुए आराजी नम्बर 66 कुआ पर जाता है रास्ता मौके पर 25 फीट चौडा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से करते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 169/2 व 170/1 मे से रास्ता को मौके पर बन्द कर दिया है अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 169/2 व 170/1 में से 25 फीट चौडाई का रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित करा बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोई तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगणो का शामलाती कुआं आराजी नम्बर 66 पर जाने के लिए व आगे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 65, 57, 56 में जाने हेतु मौके पर रास्ता मुख्य रास्ता से प्रारम्भ होकर आ0नं0 163, 164 जो कि प्रार्थीगण की है जिसमें होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 169/2, आ.नं. 170/1 में होते हुए आराजी नम्बर 66 कुआ पर जाता है रास्ता मौके पर 25 फीट चौडा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से करते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 169/2 व 170/1 मे से रास्ता को मौके पर बन्द कर दिया है अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 169/2 व 170/1 में से 25 फीट चौडाई का दर्ज कराया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना करा मुआवजा का निर्धारण कर जमा कर विपक्षी संख्या 01 से 03 के खाते में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन् किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1. क्या प्रार्थी/प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। (नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है)
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है रास्ता उक्त आराजियात के उतर दिशा में आ.नं. 67, 68, 69 के सहारे सहारे प्रस्तावित किया गया है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण रास्ते के बदले दी जाने वाली भूमि के बदले भूमि चाहता है। परन्तु प्रार्थी भूमि के बदले भूमि नही देना चाहते है, डी.एल.सी.दर अनुसार राशि देना चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया, प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 13 फीट चौडा रास्ता लेने व देने हेतु सहमत है। रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल 0.0429 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम है, रास्ते की चौडाई 13 फीट व लम्बाई 355 फीट अर्थात 0.0429 हैक्टेयर भूमि है। उक्त आराजी की डीएलसी दर 97850/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से दुगुना करने पर 8381/– रूपये बनती है। (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोई तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगणो का शामलाती कुआं आराजी नम्बर 66 पर जाने के लिए व आगे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 65, 57, 56 में जाने हेतु मौके पर रास्ता मुख्य रास्ता से प्रारम्भ होकर आ0नं0 163, 164 जो कि प्रार्थीगण की है जिसमें होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 169/2, आ.नं. 170/1 में होते हुए आराजी नम्बर 66 कुआ पर जाता है रास्ता मौके पर 25 फीट चौडा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 169/2, 170/1 विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः मौजा

Ahad

आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोई तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 66 शामलाती कुआ एवं प्रार्थीगण की आराजी संख्या 65, 57, 56, मे से होकर आ0नं0 163, 164 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 आराजी संख्या 66 शामलाती कुआ एवं प्रार्थीगण की आराजी संख्या 65, 57, 56, मे से होकर आ0नं0 163, 164 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 से 03 की मौजा आंबाखेडी प0ह0 तिलोली भू.अ.नि. कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा के आ.नं. 169/2, 170/1 में से लम्बाई 355 फीट व चौडाई 13 फीट का कुल क्षैत्रफल 0.0429 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से राशि जो डीएलसी दर का दोगुना करने पर 8381—00 राशि रूपये जो कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा